

**न्यायालय :-सदस्य, प्रथम अतिमोदुदाधिबालाघाट**

**शृंखला न्यायालय बैहर**

(पीठासीन अधिकारी- वाचस्पति मिश्र)

**मोटर दुर्घटना दावा क्र.-22/2017**

संस्थित दिनांक -29.06.2016

फाईलिंग नंबर-24/2017

सी.एन.नंबर-एम.पी. 5005-0000-64-2017

श्रीमती सुद्धनबाई विधवा स्व. झाडूलाल सूर्यवंशी उम्र 40 वर्ष

निवासी-वार्ड नंबर 10 ब्राम्हणटोला कुकर्ता तहसील बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - -

**आवेदिका ।**

- / / **विरुद्ध** / / -

1- रहीम बेग पिता अकबर बेग उम्र 58 वर्ष जाति मुसलमान  
निवासी-वार्ड नंबर 3 गड्डा मोहल्ला तहसील व जिला  
बालाघाट (म.प्र.) **(वाहन चालक)**

2- मेसर्स सतपुड़ा डीलर्स :-

प्रो० प्रकाशचंद जैन पिता श्री फूलचंद जैन जाति जैन

निवासी- 38, वल्लभ नगर रायपुर (छ.ग.) **(वाहन स्वामी)**

3- शाखा प्रबंधक, दि-न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

शाखा कार्यालय रायपुर मण्डल कार्यालय क्रमांक - 01

प्रथम तल मदीना बिल्डिंग कचहरी चौक रायपुर तहसील व

जिला रायपुर (छ.ग.) **(बीमा कंपनी)- - - अनावेदकगण**

=====

**मोटर दुर्घटना दावा क्र.-24/2017**

संस्थित दिनांक -15.06.2016

फाईलिंग नंबर-26/2017

सी.एन.नंबर-एम.पी. 5005-0000-68-2017

1- श्रीमती बजराहीनबाई यादव पति स्व. झाडूलाल उम्र 45 वर्ष

2- राजकुमार यादव पिता स्व. झाडूलाल उम्र 27 वर्ष

3- राजूलाल यादव पिता स्व. श्री झाडूलाल उम्र 25 वर्ष

तीनों जाति गोंड निवासी-ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी तहसील बैहर

जिला बालाघाट - - - - -

**आवेदकगण ।**

— / / विरुद्ध / / —

- 1— रहीम बेग पिता अकबर बेग उम्र 58 वर्ष जाति मुसलमान निवासी—वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) (वाहन चालक)
- 2— मेसर्स सतपुड़ा डीलर्स :—  
प्रो० प्रकाशचंद जैन पिता श्री फूलचंद जैन जाति जैन निवासी— 38, वल्लभ नगर रायपुर (छ.ग.) (वाहन स्वामी)
- 3— शाखा प्रबंधक, दि-न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय रायपुर मण्डल कार्यालय क्रमांक — 01 प्रथम तल मदीना बिल्डिंग कचहरी चौक रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) (बीमा कंपनी)— — — अनावेदकगण

=====

आवेदकगण द्वारा श्री नंदकिशोर पंचेश्वर अधिवक्ता (MACC NO. 24/17)

आवेदिका द्वारा श्री जे.एल. अंगारे अधिवक्ता (MACC NO. 22/17)

अनावेदक क्रमांक 1, 2 द्वारा श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरेशी अधिवक्ता।

=====

— / / अ वार्ड / / —

(आज दिनांक 20 जून 2018 को पारित)

1. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 22/2017 एवं 24/2017 एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण दोनों दावों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 19.05.2016 को दिन के करीब 10:30 बजे ग्राम पीपरटोला, बैहर—बालाघाट लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक C.G. 04 ZC 8094 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से मृतक झाडूलाल की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

3. दोनों दावों के आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि मृतक झाड़ूलाल 45 वर्षीय होकर कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी में जमादार के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक 19.05.2016 को दिन के करीब 10:30 बजे विभागीय कार्य से अपनी मोटरसायकल क्रमांक MP 50 MF 6703 से अपने साईड से जा रहा था तभी ट्रक क्रमांक CG 04 - ZC 8094 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर पीपरटोला बैहर-बालाघाट लोकमार्ग पर उसके वाहन को टक्कर मार दिया जिससे झाड़ूलाल मोटरसायकल सहित नीचे गिर गया। झाड़ूलाल के सिर, सीने, कंधे में गंभीर चोट कारित हुई, जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान झाड़ूलाल की मृत्यु हो गई।

4. श्रीमती बजराहीनबाई एवं सुद्धनबाई मृतक झाड़ूलाल की पत्नियां हैं तथा आवेदक क्रमांक 2 राजकुमार एवं क्रमांक 3 राजू बजराहीनबाई के पुत्र हैं। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक रहीम बेग अनावेदक क्रमांक 1 था तथा वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 दि-न्यू इंडिया इश्युरेंस बीमा कंपनी के पास दुर्घटना के समय बीमित था जिसकी बीमा पॉलिसी नंबर 46040031150200008498 होकर बीमा वैधता अवधि दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 तक थी। मृतक कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक पशु प्रजनन में जमादार के पद पर पदस्थ होकर 30,000/-रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था। मृतक की मृत्यु हो जाने से मोटर दावा क्रमांक 24/2017 के आवेदकगण ने भविष्य में होने वाली आय की क्षति 33,36,000/-, पितृ सुख से वंचित होने से आवेदकगण को हुई क्षति 1,00,000/-, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेटे 1,00,000/-, दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/-, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 25,000/- इस प्रकार कुल 36,61,000/-रु. एवं मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक

22/2017 की आवेदिका सुद्धनबाई ने मृतक की असामायिक मृत्यु होने के मद में 35,0000/-रुपए, शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 2,00,000/-रुपए, अंतिम संस्कार के मद में 50,000/-रुपए, दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/-रुपए इस प्रकार कुल 40,00,000/-रु. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

5. दोनों मोटर दुर्घटना दावों में अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने पृथक्-पृथक् उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए घटना दिनांक 19.05.2016 को अना.क. 1 द्वारा सामान्य गति से वाहन चला रहा था। झाड़ूलाल अपनी पत्नि सुद्धनबाई को पीछे बैठाकर तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर ट्रक से टकरा गया जिससे झाड़ूलाल की मृत्यु हो गई। मृतक झाड़ूलाल की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। उक्त घटना के लिये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दायित्वाधीन नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 वैध वाहन चालक है। उक्त वाहन दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 तक बीमित था। वाहन का परमिट वैध है, वाहन की पाल्यूशन रिपोर्ट दिनांक 20.11.2015 से 20.05.2016 तक वैध है। मृतक की पत्नि सुद्धनबाई एवं श्रीमती बजराहिनबाई है, के संबंध में विवाद है। उक्त दावे से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को मुक्त किए जाने की याचना की है।

6. दोनों मोटर दुर्घटना दावों में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पृथक्-पृथक् उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है, मृतक की मासिक आय 30,000/-रुपए होने से इंकार किया है। दुर्घटना दिनांक 19.05.2016 को पुलिस थाना भरवेली के अंतर्गत होना इंकार किया है। उक्त दुर्घटना से मृतक झाड़ूलाल की मृत्यु होने से इंकार किया है।

7. विशिष्ट कथन करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के पास विधिवत वाहन चालन अनुज्ञप्ति होने से इंकार किया है। यह भी आधार लिया गया है कि उक्त वाहन का परमिट म.प्र. राज्य की सीमा के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। आवेदकगण और वाहन स्वामी के बीच दुरभि संधि होना व्यक्त किया है। वाहन स्वामी द्वारा धारा 147, 149 मोटरयान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन होना लेख किया है। धारा 170 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधान के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमति दिया जाना लेख किया है, दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। दुर्घटना से हुई क्षति के लिए अनावेदक क्रमांक 3 उत्तरदायी नहीं है। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

**MACC No. 24/2017**

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 19.05.2016 को दिन के 10:30 बजे बालाघाट-बैहर लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर झाड़ूलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?	हाँ
2.	क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवलित वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 होकर अनावेदक क्रमांक 3 के पास घटना दिनांक को बीमित था ?	हाँ
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 को बीमा शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ?	हाँ



4.	क्या आवेदकगण झाड़ूलाल की मृत्यु के कारण पृथक-पृथक अथवा संयुक्ततः अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 36,61,000/-रु. तथा आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है?	अवार्ड की कंडिका 21 (अ) (ब) (स) के अनुसार राशि 9,50,000/- की सीमा तक देय।
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा आंशिक रूप से स्वीकृत।

**MACC No. 22/2017**

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 19.05.2016 को दिन के 10:30 बजे बालाघाट-बैहर लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर झाड़ूलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?	हाँ
2.	क्या उक्त दिनांक को दुर्घटना में अंतरवलित वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 होकर अनावेदक क्रमांक 3 के पास घटना दिनांक को भीमित था ?	हाँ
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक C.G.04 Z.D.-8094 को बीमा शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ?	हाँ
4.	क्या आवेदिका सुद्धनबाई झाड़ूलाल की मृत्यु के कारण पृथक पृथक अथवा संयुक्ततः अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 40,00,000/-	नहीं।

	रुपए तथा आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी है?	
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा निरस्त।

### **वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष :-**

8. आवेदिकागण बजराहीनबाई एवं सुद्धनबाई ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 19.05.2017 को दिन के करीब 10:30 बजे उनके पति मोटरसायकल क्रमांक M.P. 50 M.F.-6703 से विभागीय कार्य से जा रहे थे तभी बैहर-बालाघाट मेन रोड पर सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से वाहन चलाकर लाया और उनके पति की मोटरसायकल में टक्कर मार दिया जिससे मृतक झाड़ूलाल चोटिल हो गये तथा सुद्धनबाई को भी उक्त दुर्घटना में चोट आयी थी। झाड़ूलाल को जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराया गया जहाँ ईलाज के दौरान दिनांक 19.05.2016 को मृत्यु हो गई। दुर्घटना के संबंध में थाना भरवेली में अपराध क्रमांक 88/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.वि. दर्ज कराया जाना व्यक्त किया है तथा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाकर पश्चात् शव सुपुर्दगी में प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है। उक्त दुर्घटना में झाड़ूलाल की मृत्यु होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श ए- 5 से होती है।

9. साक्षी बजराहीनबाई ने जिरह में स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर नहीं थी। उक्त दुर्घटना में मृतक झाड़ूलाल की मृत्यु होने के संबंध में साक्षीगण के बयान जिरह में स्थिर है। साक्षी सुद्धनबाई ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के समय मृतक झाड़ूलाल के साथ मोटरसायकल

पर सवार थी तथा साक्षी ने दुर्घटना देखने तथा उसे भी चोट आना बताया है। यह साक्षी भी जिरह में स्थिर है।

10. इसके विपरीत दुर्घटना कारित करने वाले यान ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक ने अपना परीक्षण नहीं कराया है। अतः खंडन साक्ष्य के अभाव में आवेदिका सुद्धनबाई एवं बजराहिनबाई के बयान अभिलेख पर यथावत है। उक्त साक्षीगण बजराहिनबाई एवं सुद्धनबाई के बयान की पुष्टि अपराध क्रमांक 88/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए-1, मुलाहिजा फार्म प्रदर्श ए-2, सर्ज इंटीमेशन प्रदर्श ए-4, शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए-5 से होती है।

11. जहाँ तक मृतक मोटरसायकल चालक की योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है। तत्संबंध में अनावेदक पक्ष ने कोई पॉजीटिव साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाई गई है। अतः निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 19.05.2016 को वाहन ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चालन करने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना घटित होने से झाड़ूलाल की मृत्यु दुर्घटना में फेटिल इंजुरी से होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 निराकृत किया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष :-**

12. वादप्रश्न क्रमांक 3 को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि दुर्घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 बीमा शर्तों के उल्लंघन के संचालित किया गया है। यह भी आधार लिया गया है कि उक्त वाहन का मध्यप्रदेश राज्य के लिये चालन हेतु परमिट दस्तावेज मौजूद नहीं है। तर्क की संपुष्टि में न्यायदृष्टांतः— **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भरथम्मा एवं अन्य 2004 (111) दु0मु0प्र0**



**450 (सु.को.) एवं युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुजाता अरोरा एवं अन्य 2013 (111) दु0मु0प्र0 289 (एस.सी.)** प्रस्तुत किया है।

**13.** तत्संबंध में अनावेदक साक्षी मनोज नाग वरिष्ठ सहायक अधिकारी ने व्यक्त किया है कि उक्त वाहन ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 उनकी कंपनी के कार्यालय में दिनांक 10.11.2015 से 09.11.2016 के लिये बीमित किया गया था। आगे व्यक्त किया है कि उक्त वाहन मात्र रायपुर छत्तीसगढ़ परिवहन के लिये परमिट जारी किया गया था। दुर्घटना पीपरटोला तहसील जिला बालाघाट म.प्र. की है, उक्त क्षेत्र के लिये जारी नहीं किया गया था। साक्षी ने आक्षेपित बीमा पॉलिसी को प्रदर्श एन.ए. 4 से प्रदर्श अंकित कराकर उसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

**14.** क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के क्लर्क राजेश कुमार ने व्यक्त किया है कि आक्षेपित वाहन टैम्परेरी अनुज्ञा पत्र क्रमांक 1583/16/7P/RPR जारी दिनांक 01.05.2016 से 30.05.2016 उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया है कि उक्त वाहन का कोई परमिट मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्र के लिये जारी नहीं किया गया है।

**15.** उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित वाहन C.G. 04 Z.C.-8094 के चालक को मध्यप्रदेश राज्य में वाहन परिवहन हेतु परमिट जारी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त दशा में दुर्घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक C.G. 04 Z.C.-8094 का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में संचालित किये जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

**16.** अतः निष्कर्ष यह है कि अनावेदक कंपनी बीमा कंपनी निहित प्रमाणभार डिस्चार्ज करने में सफल रहती है।

**वादप्रश्न क्रमांक 4 का निष्कर्ष :-**

17. आवेदिका साक्षीगण ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक झाड़ूलाल कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी में जमादार के पद में पदस्थ होकर निलंबित कर्मचारी था जो कि निलंबन अवधि में करीब 10,000/-रुपए मासिक जीवन-निर्वाह भत्ता उक्त अवधि में प्राप्त कर रहा था। तत्संबंध में उक्त विभाग के साक्षी डॉ. एम.एम. खान ने व्यक्त किया है कि मृतक झाड़ूलाल उनके विभाग में जमादार के पद पर पदस्थ था जो 9374/-रुपए जीवन-निर्वाह भत्ता निलंबित कर्मचारी के रूप में मासिक प्राप्त कर रहा था।

18. अतः दुर्घटना दिनांक 19.05.2016 को मृतक मृत्यु पूर्व करीब 10,000/-रुपए मासिक आय अर्जन करता था। उक्त आधार पर गणना करने पर वार्षिक आय की क्षति 1,20,000/-रुपए निर्धारित की जाती है।

**न्यायदृष्टांत :- " सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99" (सु.को.)** के अनुसार एक-तिहाई राशि स्वयं पर व्यय करता होगा। इस प्रकार उक्त राशि कम करने पर वार्षिक क्षति 80,000/- निकलती है। मृतक झाड़ूलाल की जन्मतिथी 22.07.1963 अभिलेख से दर्शित होती है जिसके आधार पर उसकी आयु 53 वर्ष होती है। **"सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99" (सु.को.)** के अनुसार 11 का गुणांक अपनाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार गणना करने पर  $80000 \times 11 = 8,80,000/-$  क्षति निर्धारित की जाती है तथा अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-, संपदा की हानि के मद में 15,000/-, साहचर्य की हानि के मद में 40,000/- इस प्रकार कुल क्षति  $(880000 + 15000 + 15000 + 40000) = 9,50,000/-$  (नौ लाख पचास

हजार) रुपए निकलती है जो कि Just Compensation की श्रेणी में आती है।  
उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 04 निराकृत किया जाता है।

**19.** अभिलेख पर यह आया है कि आवेदिका बजराहिनबाई मृतक झाड़ूलाल की प्रथम विवाहिता पत्नि है तथा उसके पुत्र राजकुमार उम्र 27 वर्ष एवं राजूलाल उम्र 25 वर्ष झाड़ूलाल की संतान है। जहाँ तक सुद्धनबाई का प्रश्न है वह मृतक की द्वितीय पत्नि की श्रेणी में आती है। अतः विधि के अंतर्गत आवेदिका सुद्धनबाई वैधानिक वारिस की श्रेणी में नहीं आती है। चूंकि झाड़ूलाल के पुत्र राजकुमार उम्र 27 वर्ष एवं राजूलाल उम्र 25 वर्ष वयस्क है। अतः मात्र बजराहिनबाई मृतक झाड़ूलाल पर दुर्घटना के पूर्व आश्रित होना पाई जाती है।

**20.** अतः अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड राशि 9,50,000 /— (नौ लाख पचास हजार) रुपए प्राथमिकता के आधार पर आवेदिका याचिकाकर्ता बजराहिनबाई के पक्ष में अदा करेंगे।

**21.** चूंकि मृतक के ऊपर विधि के अंतर्गत पत्नि बजराहिनबाई आश्रित होना पाई गई है। अतः आवेदिका बजराहिनबाई को अवार्ड राशि 1,50,000 /— रुपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष राशि 8,00,000 /— रुपए 05 वर्ष की अवधि तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह त्रैमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। आवेदक क्रमांक 1 राजकुमार एवं आवेदक क्रमांक 2 राजू वयस्क होने के कारण मृतक के ऊपर आश्रित होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः उक्त अवार्ड राशि से आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 कोई प्रतिकर पृथक् से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 24/2017 आंशिक रूप से उक्तानुसार स्वीकार की जाती है :-

**सहायता एवं व्यय :-**

{अ} मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 24/2017 की आवेदिका श्रीमती बजराहिनबाई यादव विधवा झाडूलाल यादव को प्राप्त होने वाली राशि 9,50,000/- में से 1,50,000/-रुपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी है तथा शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै-मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगी।

{ब} उक्त अवार्ड राशि प्राथमिकता के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 संयुक्ततः या पृथकतः आवेदिका/याचिकाकर्ता बजराहिनबाई को अदा करेगें।

{स} आवेदिका श्रीमती बजराहिनबाई उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से पाने के अधिकारिणी है।

{द} मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 22/2017 की आवेदिका श्रीमती सुद्धनबाई मृतक झाडूलाल की द्वितीय पत्नि होने के कारण विधि के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होना नहीं पाई जाती है। अतः मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 22/2017 निरस्त किया जाता है।

{इ} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{फ} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर मुद्रित।

सही/-

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

दिनांक :- 20 जून 2018

## -:: व्यय तालिका ::-

## MACC No. 22/2017

क	विवरण	आवेदकगण	अना.क.1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20-00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	20-00	-	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	-	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	-	-	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	<b>योग -</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>	<b>20.00</b>

## MACC No. 24/2017

क	विवरण	आवेदकगण	अना.क.1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15-00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस प्रमाण पत्र पेश, स्वीकृत।	500-00	-	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	<b>योग -</b>	<b>525.00</b>	<b>10.00</b>	<b>20.00</b>

सही / -  
(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर